E-MAIL

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक/आयुक्त,
उत्तर प्रदेश बुन्देल खण्ड विकास निगम लि0,
झाँसी मण्डल,
झाँसी।

पत्रांक: 24 /बजट/बु0खं0वि0नि0/2011-12 लखनऊ : दिनांक 09 अप्रैल, 2011

विषयः– बुन्देल खण्ड विकास निगम के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में होने वाले व्यय के बजट आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–473/अड़तीस–3–2011–1114/2010 दिनांक 07–4–2011 द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये स्वीकृत धनराशि में से निम्न विवरण के अनुसार आपको धनराशि का आवंटन किया जाता है:–

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0सं0	मानक मद	आवंटित की जा रही धनराशि
1	2	3
1–	20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	1331
2–	22–आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	66
3–	31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)	916
	योग	2313

(रूपये तेईस लाख तेरह हजार मात्र)

आवंटित धनराशि का सदुपयोग करते समय सुसंगत वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011–231/2011 दिनॉक 21–3–2011 (छाया प्रति संलग्न) में निहित निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी होने वाले मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

आवंटित धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखाशीर्षक '2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनेतर–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–विकास आयुक्त (मुख्यालय) के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

क्रमशः पृष्ठ–2/–

उपरोक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय नियंत्रण रजिस्टर (आयोजनेतर पक्ष) के पृष्ठ संख्या–220 पर अंकित कर ली गयी है। इस आवंटन से सम्बन्धित मासिक व्यय विवरण कोषागार बाउचर संख्या व दिनांक सहित बजट अनुभाग को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

2515	00	001	03	00

संलग्नक–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांकः–सी-24 /बजट/बु0खं0वि0नि0/2011–12 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष, बुन्देल खण्ड विकास निगम लि0, झॉसी।
2– जिलाधिकारी, झॉसी।
3– मुख्य कोषाधिकारी, झॉसी।
4– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6– जिला विकास अधिकारी, झॉसी।
7– प्रबन्धक, बुन्देल खण्ड विकास निगम लि0, झॉसी।
8– उप सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग–3/4, उ0प्र0 शासन।
9– संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
10–गार्ड फाइल हेतु ।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।